



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102024-258270
CG-DL-E-26102024-258270

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4311]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 25, 2024/कार्तिक 3, 1946

No. 4311]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2024/KARTIKA 3, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4687(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3174 (अ), तारीख 6 अगस्त, 2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के 380/600 कि.मी. से 432/650 कि.मी. तक के भूखण्ड (चिलकलूरीपेट - विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने / छह लेन बनाने आदि), अनुसंरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 18 अगस्त, 2024 को "प्रजशक्ति (तेलुगु)" और "दि हन्स इंडिया (अंग्रेजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

आन्ध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के कि.मी. 380/600 कि.मी. से 432/650 कि.मी. तक के भूखण्ड (चिलकलूरीपेट - विजयवाड़ा खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: गुंटूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मंगलगिरि					
गांव का नाम: काज़ा					
1	310/ए-2सी	सरकारी (सरकारी पोराम्बोक)	सरकारी पोराम्बोक	0.080936	चेरुवु (श्री कृष्णा मंदिर, साथगुरु श्री नारायणतीर्थ ट्रस्ट) 310/A-2C
2	330-2	सरकारी (सरकारी पोराम्बोक)	सरकारी पोराम्बोक	0.040468	डोंका
Total				0.121404	

[फा. सं. NHAI/15021/6-lane/BOT/2008/Tech/GM(CK-I)/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2024

S.O. 4687(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S. O. 3174 (E) dated 06.08.2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Chilakaluripet - Vijayawada section of NH-16 from Km. 380.600 to Km. 432.650 in the district of Guntur in the state of Andhra Pradesh.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Prajasakti (Telugu)” and “The Hans India (English)” both dated 18.08.2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 380.600 to Km. 432.650 (Chilakaluripet - Vijayawada Section) on the National Highway No.16 in the District of Guntur in the state of Andhra Pradesh.

State: ANDHRA PRADESH			District: GUNTUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Mangalagiri					
Village: Kaza					
1	310/A-2C	Government (Govt.Poramboke)	Govt.Poramboke	0.080936	Cheruvu (Sri Krishna Mandir, Sathguru Sri Narayanateertha Trust) 310/A-2C
2	330-2	Government (Govt.Poramboke)	Govt.Poramboke	0.040468	Donka
Total				0.121404	

[F. No. NHAI/15021/6-lane/BOT/2008/Tech/GM(CK-I)/3D]

ABHAY JAIN, Director